रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238410
CG-DL-E-26082022-238410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2022/भाद्र 4, 1944
No. 582]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2022/BHADRA 4, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 658(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) दूसरा संशोधन नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 में,-

   (क) प्ररूप सं. एसटीके-1 में, पैराग्राफ (1) में, "(जो लागू है उस पर निशान लगाएं)" कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "□धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन की गई अस्तित्व जांच के पश्चात् यथाप्रकटित, कंपनी कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है।

   (जो लागू है उस पर निशान लगाएं)";

   (ख) प्ररूप एसटीके-5 में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैरा (iii) के पश्चात और लम्बी पंक्ति के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन की गई अस्तित्व जांच के पश्चात् यथाप्रकटित, निम्नलिखित कंपनियां कोई कारोबार या प्रचालन नहीं कर रही हैं:

मैसर्स ______________________________ (कंपनियों के नाम इंगित करें)

मैसर्स ______________________________ ";

(ग) प्ररूप सं. एसटीके- 5क में, पैराग्राफ 1 में, “[जो लागू न हो उसे काट दें]” कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन की गई अस्तित्व जांच के पश्चात् यथाप्रकटित, कोई कारोबार या प्रचालन नहीं कर रही हैं।”

[जो लागू न हो उसे काट दें]”

[फा. सं. 1/28/2013-सीएल-V (पार्ट-III)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1174(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 355(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि 350(अ) तारीख 8 मई, 2019, सा.का.नि 420(अ) तारीख 29 जून, 2020 और सा.का.नि. 436(अ) तारीख 9 जून, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2022

G.S.R. 658(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 , namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Second Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, -

(a) in Form No. STK-1, in paragraph (1), for the brackets and words “(tick whichever is applicable)” , the following shall be substituted, namely:-

"□ the company is not carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12.

(tick whichever is applicable)”;

(b) in Form STK-5, in paragraph 1, after sub-paragraph (iii) and before the long line, the following shall be inserted, namely:-

"(iv) the following companies are not carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12.

M/s. ______________________________ (indicate names of companies)

M/s. ______________________________";

(c) in Form No. STK-5A, in paragraph 1, for the brackets and words "[Strike off whichever is not applicable]", the following shall be substituted, namely:-

"(iv) are not carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12.

[Strike off whichever is not applicable]".

[F. No. 1/28/2013-CL-V(Part-III)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1174(E), dated the 26th December, 2016 and amended, *vide* notification numbers G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017 , G.S.R 350(E) dated the 8th May, 2019, G.S.R 420(E), dated the 29th June, 2020 and G.S.R. 436(E), dated the 9th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.26 20:38:00 +05'30'